





न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 882

दिनांक : 01/06/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. जान मोहम्मद पुत्र रिमजु खां,  
जाति तेली, निवासी आहोणी बैनिवालों  
की ढाणी, पटवार मण्डल माधासर,  
तहसील बायतु (बाडमेर)

1. बाबु खां पुत्र अकबर खां वगैरा 06,  
जाति तेली, निवासी आहोणी बैनिवालों  
की ढाणी, पटवार मण्डल माधासर,  
तहसील बायतु (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 172/2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - आहोणी बैनिवालों की ढाणी, पटवार हल्का - माधासर, तहसील - बायतु, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 694 रकबा 4.0693 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



(जगदीश सिंह आशिया)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 01/06/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 884-888

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का माधासर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री जान मोहम्मद पुत्र रिमजु खां,
4. विप्रार्थी श्री बाबु खां पुत्र अकबर खां वगैरा 06,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिडा/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु